कार्यालय जिला ग्रामीण विकास शाखा लोहरदगा

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में संविदा आधारित नियुक्ति संबंधी सूचना।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति, लोहरदगा के दिनांक 13.12.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में पूर्व में संविदा आधारित प्रखण्ड स्तर लेखापाल–सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर –01 (अ0ज0जा0) के पद पर चयन प्रक्रिया को रद्द करते हुए पुनः नियुक्ति हेतु निम्नवत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैः–

क्र0	पद का नाम	रिक्ति की संख्या	कोटि	शैक्षणिक योग्यता	उम्र–सीमा	मासिक मानदेय
01	लेखापाल –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	आरक्षित–अ0ज0जा0 – 01	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ छः माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य ।	18–30	10,000/–

नोट– उम्र की गणना 01.01.2026 के आधार पर की जाएगी।

इच्छुक योग्य अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट https://applyrdd.jharkhand.gov.in पर Online आवेदन दिनांक 10.01.2026 से दिनांक 31.01.2026 तक कर सकते है। विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।

ह0/–

उपायुक्त,
लोहरदगा

ज्ञापांक 06 / जि0ग्रा0वि0शा0, दिनांक 3/1/26

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि लोहरदगा जिला के वेबसाईट https://lohardaga.nic.in पर उपरोक्त सूचना का प्रकाशन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMU) के अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर स्तरीय रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्ति हेतु विभागीय पोर्टल https://applyrdd.jharkhand.gov.in पर इच्छुक आवेदकों से Online आवेदन आमंत्रित किए जाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय (विज्ञापन का हार्ड एवं साफ्ट कॉपी संलग्न)।

प्रतिलिपिः– सरकार के सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

03/01/26

उपायुक्त,
लोहरदगा

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास शाखा लोहरदगा

ज्ञापांक: ......06........../जि0ग्रा0वि0शा0 दिनांक : 03/01/2026

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी

सूचना

1. ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या–1016 (अनु0), ग्रा0वि0, राँची, दिनांक–01.03.2017 तथा आयुक्त कार्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल द्वारा अनुमोदित रोस्टर के आलोक में लोहरदगा जिला प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरूद्ध कोटिवार रिक्ति पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। रिक्त पद की विस्तृत विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	आवेदित पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						
		UR	ST	SC	EWS	कुल	उम्र सीमा (01.01.2026) को आयु	मासिक मानदेय
01.	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रखण्ड स्तर)	00	01	00	00	01	18–30 वर्ष	10000/–

नोटः– उक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति प्रभावी होगी।

(रिक्त पद की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है)

2. सभी नियुक्तियों में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–1617, दिनांक–17.03.2023 के आलोक में आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची का पत्रांक–2105/स्था0, दिनांक– 04.09.2023 से अनुमोदित कोटिवार रोस्टर प्रभावी है।

3. शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभवः–

क्र0 सं0	पद का नाम	मासिक मानदेय	उम्र–सीमा	शैक्षणिक योग्यता
01	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	10,000/–	18–30	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ छः माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य ।

उम्र सीमाः–उम्र की गणना 01.01.2026 के आधार पर की जायेगी।

4. नियुक्ति प्रक्रियाः–

I. ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 1016 (अनु0), ग्रा0वि0, राँची, दिनांक 01.03.2017 के आलोक में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया संपादित की जायेगी।

II. निर्धारित समय सीमा में ऑनलाईन आवेदन https://applyrdd.jharkhand.gov.gov.in पर प्राप्त करने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन एवं दक्षता परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन के माध्यम से भी सूचित किया जायेगा।

III. नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

5. मेधा सूची:–

I. सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। एक पद के विरूद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहाँ आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

II. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

III. दक्षता परीक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा।

IV. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में एक साल के अन्दर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

V. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

6. मूल्यांकन:–

- आवेदक का मूल्यांकन कुल 100 अंको पर किया जायेगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा:–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित अनुभव	दक्षता परीक्षा		कुल योग
		विषय ज्ञान	कम्प्यूटर ज्ञान	
50	20	10	20	100

- कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।
- चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।
- कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति द्वारा कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा ली जायेगी।

7. राष्ट्रीयता: आवेदक भारत का नागरिक हो।

8. आरक्षण : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।

9. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रियाः—

III) इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को संबंधित जिला के लिए ऑनलाईन आवेदन https://applyrdd.jharkhand.gov.gov.in पर अंतिम निर्धारित तिथि 10.01.2026 से 31.01.2026 तक समर्पित करना होगा।

10. संविदा पर नियुक्ति होने वाले कर्मियों की सेवाशर्ता निम्नवत् होगीः—

I. प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष हेतु की जायेगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजक नहीं पाये जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गयी चयन समिति ही इस परियोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।

II. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहते है तो अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। यदि संबंधित कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना देकर या एक माह का परिलब्धि देकर उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

III. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान / संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

IV. प्रखण्ड स्तरीय संविदा कर्मी का पदस्थापन जिले के किसी प्रखण्ड कार्यालय में किया जा सकता है।

V. संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

VI. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।

VII. आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।

VIII. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगी। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यो से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

IX. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।

X. नियुक्त कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

XI. किसी भी विवाद की स्थिति में उपायुक्त, लोहरदगा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

Sd/- 03/01/26

उपायुक्त,

लोहरदगा